

## अनुबंध -2 (निदेशक की रिपोर्ट के लिए)

## Annexure -2 (To the Director's Report)

### सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी

### THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR THE YEAR 2022-23

#### 1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक कंपनी की प्रतिबद्धता है जिसमें यह व्यवसाय को ऐसे तरीके से संचालित करके स्थिरता पहल के माध्यम से एक स्थायी समाज विकसित करने में योगदान देता है जो व्यवसाय और समाज दोनों के लिए लाभदायक है। इसलिए, सीएसआर सतत विकास के अभ्यास से निकटता से जुड़ा हुआ है, सीएसआर परोपकारी गतिविधियों से आगे बढ़ता है और सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के एकीकरण तक पहुंचता है। इन गतिविधियों को, उन गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए जो लंबी अवधि में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगी।

पीडीआईएल पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में बचाव, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और अन्य के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास की पहल, राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं का पालन शामिल है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी में सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय पीएसयू के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप की गईं।

#### 1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's commitment to address social, ethical and environmental concerns in which it operates and contribute to develop a sustainable society through sustainability initiatives by conducting business in a manner that is beneficial to both, business and society. CSR is, therefore, closely linked with the practice of sustainable development, CSR extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals. These activities need to be seen as those which would, in the long term, help secure a sustainable competitive advantage.

PDIL is committed to conduct its business in a sustainable manner adhering to the principles of Avoidance, Minimization and Mitigation in dealing with environmental and social issues and include initiatives for Social & Economic Development of communities through rural development, education, skill development, health and other areas of national importance and adherence to sustainable environmental practices.

The CSR activities in the Company for the FY 2022-23 were undertaken in line with the statutory provisions under the Companies Act, 2013, the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs and the CSR Policy of the Company.

#### 2. सीएसआर समिति की संरचना/ Composition of CSR Committee:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र बैठकों की कुल संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	सुश्री अपर्णा एस. शर्मा (01.11.2022 तक) Ms. Aparna S. Sharma (upto 01.11.2022)	अध्यक्ष, सीएमडी Chairperson, CMD	-	-
2.	सुश्री अनिता सी मेश्राम (01.11.2022 से) Ms. Aneeta C Meshram (from 01.11.2022)	अध्यक्ष, सीएमडी Chairperson, CMD	1	1
3.	सुश्री नज़हत जे शेख Ms Nazhat J. Shaikh	सदस्य, निदेशक (वित्त) Member, Director (Finance)	1	1
4.	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सदस्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक Member, Government Nominee Director	1	1
5.	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वंभर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Member, Independent Director	1	1

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है। [http://www.pdilin.com/pdf/csr\\_sustainability\\_policy.pdf](http://www.pdilin.com/pdf/csr_sustainability_policy.pdf) (सीएसआर नीति)
4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई कोई भी सीएसआर गतिविधि ₹1 करोड़ या उससे अधिक नहीं थी जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण:

क्रम संख्या S. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में) Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में) Amount required to be setoff for the financial year, if any (in Rs)
1	2019-20	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
2	2020-21	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
3	2021-22	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
	<b>कुल TOTAL</b>	<b>शून्य/ NIL</b>	<b>शून्य/ NIL</b>

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : ₹ 2942.24 लाख
7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : ₹ 58.84 लाख
- (बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य
- (सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : शून्य
- (डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7a+7b-7c) : ₹ 58.84 लाख
8. (a) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई या खर्च नहीं की गई:

3. Provide the web-link where composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company. [http://www.pdilin.com/pdf/csr\\_sustainability\\_policy.pdf](http://www.pdilin.com/pdf/csr_sustainability_policy.pdf) (CSR Policy)
4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

Not applicable for this financial year. Further, none of the CSR activities taken up during FY 2022-23 were ₹1 crore or above for which impact assessment is required.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

6. Average net profit of the company as per section 135(5) : ₹ 2942.24 Lakhs
7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) : ₹ 58.84 Lakhs
- (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years. : Nil
- (c) Amount required to be set off for the financial year, if any : Nil
- (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c). : ₹ 58.84 Lakhs
8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year 2022-23: राशि (₹ लाख में)/ Amount (₹ in Lakhs)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यय की गयी राशि (लाख रुपये में) Total Amount Spent for the Financial Year 2022-23 (in Rs Lakhs)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि Total Amount transferred to Unspent CSR account as per Section 135(6)		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	राशि (Rs.) Amount (Rs.)	स्थानांतरण की तिथि Date of Transfer	निधि का नाम Name of Fund	राशि (Rs.) Amount (Rs.)	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer
	25.00	33.84*	28.04.2023	शून्य	शून्य
<b>कुल/Total</b>	<b>33.84</b>				

नोट

\* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में, ₹ 33.84 लाख की राशि, जो वित्त वर्ष 2022-23 की चल रही सीएसआर गतिविधियों से संबंधित शेष रह गई थी, 28.04.2023 को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

- (बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹ 33.84 लाख  
विवरण अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न हैं
- (सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹ 25.00 लाख रूपये

Note

\* In compliance with the provision of Section 135(6) of the Companies Act, 2013, an amount of ₹ 33.84 Lakhs, that remained unspent relating to ongoing CSR activities of FY 2022-23, was transferred to Unspent CSR Account on 28.04.2023.

- (b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year : ₹ 33.84 Lakhs  
details attached as **Annexure 3**
- (c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year : ₹ 25.00 lakh

राशि (₹ लाख में)/ Amount (₹ in Lakhs)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
क्रम संख्या S. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान Location of the project		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ लाख में) Amount spent for the project (₹ in Lakhs)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका Mode of Implementation Through Implementing Agency
				राज्य State	जिला District			
1	पीएम केयर्स फंड PM Care Fund	स्वास्थ्य Health	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं	25.00	प्रत्यक्ष Direct	N.A. लागू नहीं
<b>कुल TOTAL</b>						<b>25.00</b>		

- (डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य
- (इ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य
- (एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि : ₹ 58.84  
(8b+8c+8d+8e) लाख
- (जी) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : कोई नहीं
9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:
- (d) Amount spent in Administrative Overheads : Nil
- (e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Nil
- (f) Total amount spent for the Financial Year : ₹ 58.84  
(8b+8c+8d+8e) Lakhs
- (g) Excess amount for set off, if any : None
9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

क्रम संख्या Sl. No.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष Preceding financial year	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				फंड का नाम Name of the Fund	राशि Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer	
1.	2019-20			शून्य			
2.	2020-21			NIL			
3.	2021-22	74.82	74.82	पीएम केयर्स PM CARES	40.65	23.09.2022	NIL
	<b>योग Total</b>	<b>74.82</b>	<b>74.82</b>	<b>40.65</b>			<b>शून्य</b>

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):

राशि (₹ लाख में)/ Amount (₹ in Lakhs)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम संख्या Sl. No.	प्रोजेक्ट आईडी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि Total amount allocated for the project	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial Year	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/चालू Status of the project - Completed/Ongoing
1		सरकारी आयु-विज्ञान संस्थान (जीआईएमएस), ग्रेटर नोएडा में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीन और कार्डियक डिफिब्रिलेटर Ultrasound Scanning Machine & Cardiac Defibrillator to Government Institute of Medical Sciences (GIMS), Greater Noida	2021-22	N.A. लागू नहीं	29.65	29.34	29.34	पूर्ण Completed
2		वृन्दावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन (टी-एपीएफ) को 76 मध्यम आकार के बर्तनों और 32 छोटे बर्तनों के लिए सहायता Support for 76 Mid size vessels & 32 Small Vessels to The Akshaya Patra Foundation (TAPF) at Vrindavan	2021-22	N.A. लागू नहीं	3.29	4.82	4.82	पूर्ण Completed

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम संख्या Sl. No.	प्रोजेक्ट आईडी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि Total amount allocated for the project	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial Year	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/चालू Status of the project - Completed/Ongoing
3		पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (पीजीआईसी-एच), नोएडा के लिए पूरी तरह से स्वचालित जमावट विश्लेषक Fully automated Coagulation Analyser for Post Graduate Institute of Child Health (PGICH), Noida	2021-22	N.A. लागू नहीं	14.15	-	-	निदेशक पीजीआईसीएच के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया Cancelled on request of Director PGICH
4	-	पीएम केयर फंड PM CARE Fund	2021-22	N.A. लागू नहीं	27.73	40.66	40.66	पूर्ण Completed
<b>कुल Total</b>					<b>74.82</b>	<b>74.82</b>	<b>74.82</b>	

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण) : शून्य
- (ए) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : शून्य
- (बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि : शून्य
- (सी) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : शून्य
- (डी) निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। : शून्य

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details) : NIL
- (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s). : NIL
- (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset. : NIL
- (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc. : NIL
- (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset). : NIL

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित खाते की राशि को खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)

Not Applicable. However, unspent account transferred to account in accordance to Section 135(6) of the Companies Act, 2013

ह/-  
**सुश्री नज़हत जे. शेख**  
निदेशक (वित्त)  
(डीआईएन: 07348075)

sd/-  
**Ms. Nazhat J. Saikh**  
Director (Finance)  
(DIN: 07348075)

ह/-  
**यू. सरवणन**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 07274628)

sd/-  
**U. Saravanan**  
Chairman & Managing Director  
(DIN: 07274628)

स्थान: नोएडा  
तिथि: 28.12.2023

Place: Noida  
Date: 28.12.2023

अनुबंध 3  
(निदेशक की रिपोर्ट के लिए)

Annexure 3

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(To the Director's Report)  
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2022-23:

(1) क्रम संख्या Sl. No.	(2) परियोजना का नाम Name of the Project	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local area (Yes/No)	(5) परियोजना का स्थान Location of the project		(6) परियोजना अवधि Project duration	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में) Amount allocated for the project (₹ in Lakhs)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में) Amount spent in the current financial year (₹ in Lakhs)	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (₹ in Lakhs)	(10) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	(11) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				राज्य State	जिला District						नाम Name	सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR Registration number
1.	10 रोगी मॉनिटर (जीआईएमएस, ग्रेटर नोएडा के लिए 10 nos. Patient Monitors for GIMS, Greater Noida	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	नोएडा Noida	N.A. लागू नहीं	21.50	0.00	21.50	प्रत्यक्ष	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं
2.	अनुमानित शेष राशि PMCARES फंड में भेजी जाएगी Estimated remaining amount to be remitted to PMCARES Fund	स्वास्थ्य Health	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं	12.34	0.00	12.34	प्रत्यक्ष	N.A. लागू नहीं	N.A. लागू नहीं
<b>कुल Total</b>							<b>33.84</b>		<b>33.84</b>			

नोट:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में, ₹ 33.84 लाख की राशि, जो वित्त वर्ष 2022-23 की चल रही सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अव्ययित रह गई थी, 28.04.2023 को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।
- वित्त वर्ष 2022-23 की सीएसआर गतिविधियों के पूरा होने के बाद, अव्ययित सीएसआर खाते में शेष ₹30.96 लाख की अप्रयुक्त राशि सितंबर, 2023 तक पीएम केयर फंड में स्थानांतरित कर दी गई।
- तदनुसार, चालू परियोजनाओं सहित वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियां सितंबर, 2023 तक पूरी हो गईं।

Notes:

- In compliance with the provision of Section 135(6) of the Companies Act, 2013, an amount of ₹ 33.84 Lakhs, that remained unspent relating to ongoing CSR activities of FY 2022-23, was transferred to Unspent CSR Account on 28.04.2023.
- After completion of CSR activities of FY 2022-23, unspent amount of ₹30.96 Lakhs remaining in Unspent CSR Account was transferred to PM Care Fund by September, 2023.
- Accordingly, CSR activities for FY 2022-23 including ongoing projects were completed by September, 2023.